रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2010/अग्रहायण 8, 1932
No. 298] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2010

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : कोरिया आर.पी.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जाँच की शुरुआत ।

फा. सं. 15/31/2010-डीजीएडी.—यत: 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतद्पश्चात् "पाटनरोधी नियम" कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात "प्राधिकारी" कहा गया है) ने दिनांक 7 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 14/5/2006-डीजीएडी द्वारा कोरिया आर.पी. (जिसे एतद्पश्चात "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल (जिसे एतद्पश्चात "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अंतिम परिणाम अधिसूचित किए थे।

2. और यत: दिनांक 3 मार्च, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2008 द्वारा संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

3. और यत: प्राधिकारी को मै. एल जी कैम लि., कोरिया आर. पी. से पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच तथा वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद फिनॉल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जाँच के अनुसार इस उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"फिनॉल एक मूलभूत कार्बनिक रसायन है जो सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत होता है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907.11 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। इस उत्पाद का विपणन दो ग्रेडों अर्थात् क्रिस्टलाइन और हाइड्रेटेड, में किया जाता है। फिनॉल के प्रवाह संबंधी गुणधर्म के आधार पर इन दो ग्रेडों में विभेद किया जाता है। इस उत्पाद का विपणन दो रुपों में किया जाता है—खुला और पैक्ड । खुले स्वरूप में फिनॉल की बिक्री सामान्यत: थोक में की जाती है जबकि पैक्ड परेषण अपेक्षाकृत छोटे कंटेनर भार का हो सकता है। फिनॉल का इस्तेमाल फिनॉल फार्मल्डेहाइड रेजिन्स, लेमिनेट्स, प्लाइवुड्स, पार्टिकल बोर्ड्स, बायस फिनॉल-ए अल्कायल फिनॉल्स, फार्मास्यूटिकल्स, डी-फिनॉइल आक्साइड आदि के विनिर्माण में किया जाता है।"

जांच की शुरुआत

5. सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है। मै. एलजी कैमिकल लि., कोरिया ने कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के प्रावधानों के अंतर्गत इस स्थिति में पूर्व में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना समुचित होगा।

शामिल देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश कोरिया आरपी है।

समीक्षा के आधार

7. आवेदक ने दावा किया है कि मूल कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि, कोरिया आरपी से भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत में वृद्धि और भारत में घरेलू कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के साथ-साथ और कोरिया आरपी में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमत में पर्याप्त वृद्धि जैसे प्रमुख मानदण्डों में परिवर्तन के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संबद्ध निर्यातक द्वारा कोरिया आरपी से कोई पाटन नहीं किया जा रहा है और पाटन मार्जिन में अधोगामी संशोधन तथा तदनुसार अपेक्षित शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

प्रक्रिया

8. दिनांक 11-1-2007 की अधिसूचना संख्या 14/5/2006-डीजीएडी द्वारा पूर्व में अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों तथा तत्पश्चात् दिनांक 3 मार्च, 2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2008 द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात् प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जाँच करने कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करना आवश्यक है, के लिए एतद्द्वारा जाँच की शुरुआत करते हैं। इस समीक्षा में दिनांक 11-1-2007 की अधिसूचना सं. 14-5-2006-डीजीएडी के सभी पहलू उस सीमा तक शामिल हैं जहां तक उनका संबंध पीयूसी से और कोरिया आरपी से है।

जाँच की अवधि (पीओआई)

9. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जुलाई, 2009 से 30 जून, 2010 (12 माह) तक निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है और क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

10. संबद्ध देश के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, भारत में इस जाँच से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढ़ंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा नं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

11. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकता है।

समय सीमा

12. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालिस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपयुक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय सारांश

13. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किसी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो पाटनरोधी नियमों के नियम 7(1) तथा 7(2) के अनुसार स्वीकार्यता के अध्यधीन होगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरिक्षण कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2010

(Mid Term Review)

Subject : Initiation of Mid Term Review on the anti-dumping duty imposed on Phenol originating in or exported from Korea RP.

F. No.15/31/2010-DGAD.—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as 'AD Rules'), *vide* Notification No. 14/5/2006-DGAD dated 7th January, 2008 the Designated Authority (hereinafter referred to as 'the Authority') notified its final findings for imposition of Anti-Dumping Duty on import of Phenol (hereinafter referred to as 'subject goods') originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as 'subject country').

2. And whereas anti-dumping duty was imposed on the subject goods *vide* Customs Notification No. 30/2008 dated 3rd March, 2008.

3. And whereas a petition for Mid Term Review has been received by the Authority from M/s. LG Chem Ltd.,

Korea RP substantiating the need for Mid Term Review of the anti dumping duty earlier imposed.

Product under Consideration

4. The Product under Consideration, as in the original investigation and also in the present review application is Phenol. As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

"Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is classifiable under Customs Tariff heading no. 2907.11. The product is marketed in two grades Crystalline and hyderated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Phenol. The product is marketed in two forms-loose and packed. Loose sales are normally in bulk, whereas packed consignments can be of much smaller container loads. Phenol is used in the manufacture of Phenol formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle boards, Bisphenol-A alkyl Phenols Pharmaceuticals, Dephenyl Oxide etc."

Initiation

5. The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the AD Rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s. LG Chem. Ltd., Korea has filed an application substantiating the need for Mid Term Review of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from Korea. The Designated Authority considers that the Mid-Term Review of the anti dumping duty recommended earlier would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended read with Rule 23 of anti dumping Rules.

Country (ies) Involved

6. The country involved in the present investigation is Korea RP.

Grounds for Review

7. The applicant has claimed that due to change in major parameters, like increase in price of basic raw materials, increase in export price of subject goods to India coming from Korea RP and substantial increase in domestic prices in India as also substantial increase in domestic price of the subject goods in Korea RP, there is a need to review the Anti-Dumping Duty imposed by the Designated Authority. It has further been argued that the dumping from Korea RP by the subject exporter does not exist at all and there is a need for downward revision of the DM and consequent duty in place.

Procedure

8. Having decided to review the final findings notified *vide* Notification No. 14/5/2006-DGAD dated 11th January, 2007 earlier and consequent anti-dumping duty imposed *vide* Customs Notification No. : 30/2008 dated 3rd March, 2008, the authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of anti-dumping duty, and whether the quantum of anti dumping duty is required to be modified in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and AD Rules. The review covers all aspects of Notification No. 14/5/2006-DGAD dated 11th January, 2007 so far as they have a relationship with PUC as also so far as they have a relationship with Korea RP.

Period of Investigation

9. The period of investigation for the purpose of the present review is proposed to be fixed as 1st July, 2009 to 30th June, 2010 (12 months) and injury analysis shall cover the years 2007-2008, 2008-09, 2009-10 and the POI.

Submission of Information

10. The exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India/ representatives, the importers and users in India known to be concerned and the Domestic Industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of anti-Dumping and Allied duties, (DGAD),
Room No. 243, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

11. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

12. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned hereinabove not later than forty days (40 days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

Non-confidential summary

13. All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2), which will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2) of the AD Rules.

Inspection of Public File

14. In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P.K.CHAUDHERY, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.